प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.02.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 04.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सूरज कोली पुत्र बनवारी लाल निवासी सोम बाजार तिलकराम कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष को चौकी क्षेत्र सेवाधाम से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्वाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं यह तमंचा और कारतूस जनता में अपना रौब दिखाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सूरज कोली पुत्र बनवारी लाल निवासी सोम बाजार तिलकराम कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना कविनगर में हत्या व गैंगस्टर एक्ट व थाना लोनी में आयुध अधि0 व थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 04.02.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त आमिर उर्फ भूरे पुत्र फेजुद्दीन निवासी सालौर असीलपुर थाना किठौर जिला मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र बाईपास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्वाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं यह तमंचा और कारतूस जनता में अपना रौब दिखाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

आमिर उर्फ भूरे पुत्र फेजुद्दीन निवासी सालौर असीलपुर थाना किठौर जिला मेरठ, उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम –

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.02.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त योगेश प्रसाद द्वारा वादी की मानसिक रुप से विकृत नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 64(2)K बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 04.02.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त योगेश प्रसाद पुत्र सतीशचन्द्र निवासी क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष को तिगरी गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता मानसिक रुप से कमजोर है तथा अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को सही से बताने में असमर्थ है इसी बात फायदा उठाकर मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

योगेश प्रसाद पुत्र सतीशचन्द्र निवासी क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.12.20224 को पंचमणि सोसायटी थाना कौशाम्बी से डिलीवरी बॉय का सामान से भरा बैग चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 01 मोबाइल फोन (वन प्लस नोर्ड 4) व फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 16.12.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी चन्दन सिंह पुत्र श्री परमहंस सिंह निवासी साधना एन्कलेव, खोड़ा कॉलोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मै SHADOWFAX COURIER COMPANY में कार्य करता हूं दिनांक 05.12.2024 से कम्पनी से स्कूटी पर कोरियर लेकर पंचमणि सोसाइटी में कोरियर देने गया था वापिस आकर देखा तो स्कूटी पर कोरियर के सामान से भरा बैग को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर पर धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज की सहायता से दिनांक 03.02.2025 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त 1. अभिषेक पुत्र पवन निवासी डी- 388 इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना शहबाजपुर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद मूल पता बी 2/21 दीवानी एन्कलेब थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष, 2. विकास पुत्र पूरन निवासी जीएच 2/7 इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना शहबाजपुर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद मूलपता ग्राम सिकन्दर पुर थाना रजपुरा जनपद सम्भल उम्र करीब 31 वर्ष को ठेके के पास आनन्द विहार बोर्डर थाना कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी के 01 मोबाइल फोन (वन प्लस नोर्ड 4) व फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक पुत्र पवन व विकास पुत्र पूरन के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 317(2), 345(3) बीएनएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक पुत्र पवन व विकास पुत्र पूरन से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि उक्त मोटर साइकिल को दोनो अभियुक्तगण ने मिलकर करीब चार महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी आज इस मोटर साइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बेचने की फिराक में घूम रहे थे।

दोनो अभियुक्तगण से बरामद मोबाइल फोन के बारे में पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि करीब दो महीने पहले दोनो अभियुक्तो ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से पंचमणी सोसायटी कौशाम्बी के पते पर 06 मोबाइल फोन ऑर्डर किये थे। जब डिलीवरी बाँय अभियुक्तो से फोन पर सम्पर्क करके पंचमणि सोसायटी में आर्डर देने के लिये अन्दर गया था तभी दोनो अभियुक्तगण डिलीवरी बांय पचमणि सोसायटी के गेट के पास स्कूटी पर अपने बैग को छोडकर एक आर्डर लेकर सोसायटी के अन्दर चला गया तब दोनो अभियुक्तगण द्वारा स्कूटी पर रखे बैग को चोरी कर भाग गये थे जिसमें 6 मोबाइल फोन वन प्लस, 01 बाँडी स्प्रे, 01 लोअर, 01 साडी, 01 ब्लूटूथ निकला था। जिसमें से कुछ सामान राहे चलते व्यक्ति को सस्ते दामो में बेच दिया था। अभियुक्तगण से बरामद मोबाइल फोन चोरी का ही है। जिसे बेचने की फिराक में घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. अभिषेक पुत्र पवन निवासी डी- 388 इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना शहबाजपुर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद मूल पता बी 2/21 दीवानी एन्कलेब थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
2. विकास पुत्र पूरन निवासी जीएच 2/7 इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना शहबाजपुर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद मूलपता ग्राम सिकन्दर पुर थाना रजपुरा जनपद सम्भल उम्र 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी के 01 मोबाइल फोन (वन प्लस नोर्ड 4) व फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक पुत्र पवन व विकास पुत्र पूरन को विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी का 01 अभियोग, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में धोखाधड़ी का 01 अभियोग, रोहिणी दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा करीब 3,50,000 रूपये की लूट करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गण गिरफ्तार कब्जे से लूट के एक लाख 4 हजार रूपये बरामद,

दिनांक 20.01.2025 को थाना लोनी पर मुकदमा वादी **श्री इन्द्रपाल सिंह ठाकुर पुत्र श्री रामकिशन नि0 T-23 कोली केम्प खिजराबाद नई दिल्ली द्वारा दो अज्ञात व्यक्ति बाईक सबार बदमाशो द्वारा वादी के भाई किरणपाल से बैग (जिसमे करीब 3 लाख 50 हजार रुपये थे) लूट कर भागने जाने के सम्बध मे लिखित तहरीर** दी गयी। जिसमे तत्काल वादी की तहरीरी सूचना पर थाना लोनी पर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 304 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में निरीक्षण घटना स्थल व बयान वादी व साक्ष्यों आदि के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 304 बीएनएस से स्थान पर धारा 309(9) बीएनएस मे तरमीम की गयी। उच्च अधिकारी गणो के निर्देशन पर पुलिस टीम गठित की गयी जिसमे कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.02.2025 को श्रीमान श्रीमान डीसीपी ग्रामीण महोदय टीम व थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र रूपनगर थाना लोनी गा0बाद से लूट की घटना कारित करने वाले 02 शातिर

अभियुक्त गण 1.मौ0 कादिर उर्फ सोनू पुत्र मौ0 वाजिद निवासी ग्राम पित्तन औन्धा थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर उ0प्र0 हाल निवासी ए ब्लाक गली न0 18 खजूरी खास थाना खजूरी दिल्ली,उम्र 28 वर्ष, **2.**मौ0 आवेश पुत्र मौ0 वाजिद निवासी ग्राम पित्तन औन्धा थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर उ0प्र0 हाल निवासी ए ब्लाक गली न0 18 खजूरी खास थाना खजूरी दिल्ली,उम्र 21 वर्ष को मय लूट की घटना के एक लाख 4 हजार रूपये व दिल्ली से चोरी की एक मो0सा0 स्पेलेडर रजि0 UP 17 U 4701 सहित चैकिग के दौरान के दौरान चौकी क्षेत्र बंथला से गिरफ्तार किया गया। अभि0 गण से बरामद माल के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5)/61(1)बीएनएस की बढोत्तरी की गयी मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 317(2)/317(5)/61(1)बीएनएस में संपादित की जायेगी। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त गण से पूछताछ का विवरण ---------

अभियुक्त गण ने पूछने पर मौ0 कादिर उर्फ सोनू व आवेश उपरोक्त ने बताया कि हम लोग अपने खर्चे व मौज मस्ती करने के लिए लूट की घटना करते है। हमारे द्वारा जो लूट की घटना करने से पहले शादी /मंडपो के स्थानो की रैकी कर लेते है। और जिसके पास पैसो का बैग होता है। वही चिन्हित कर शादी /विवाह मंडपो के पास खडे हो जाते है। जैसे ही रोड पर भीड भाड होने लगती है। तो हम लोग मौका पाकर पैसे वाले व्यक्ति से बैग छीनकर भाग जाते है। इस लूट की घटना मे हमारा एक साथी जिसका नाम आमिर पुत्र शईद निवासी ब्रहमपुरी थाना ब्रहमपुरी दिल्ली भी लूट की घटना मे शामिल था। जो मौके से भाग गया आज हम ये फिर से हम लोनी मे शादी के स्थानो की रैकी करने के लिए आये थे कि आपने पकड लिया। हमसे जो पैसे मिले है ये दिनांक 20.1.2025 की लूट की घटना के है। अभि0 गणो को चौकी क्षेत्र बंथला से आज दिनांक 04.02.2025 को मय चोरी की मो0सा0 सहित गिरफ्तार किया गया व अभि0 का एक साथी आमिर जो फरार है अभि0 मौ0 कादिर उर्फ सोनू जो पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति है जो पूर्व मे कई बार जेल जा चुका है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण

1.मौ0 कादिर उर्फ सोनू पुत्र मौ0 वाजिद निवासी ग्राम पित्तन औन्धा थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर उ0प्र0 हाल निवासी ए ब्लाक गली न0 18 खजूरी खास थाना खजूरी दिल्ली,उम्र 28 वर्ष,

2.मौ0 आवेश पुत्र मौ0 वाजिद निवासी ग्राम पित्तन औन्धा थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर उ0प्र0 हाल निवासी ए ब्लाक गली न0 18 खजूरी खास थाना खजूरी दिल्ली,उम्र 21 वर्ष,

3. फरार अभि0 आमिर पुत्र शईद निवासी ब्रहमपुरी थाना ब्रहमपुरी दिल्ली

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरूद्द थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 1002/17 धारा 395/397/412भादवि थाना मुरादनगर,

2. मु0अ0सं0 74/2023 धारा 147/148/149/307/308/323/336/34/427/504/506/ भादवि व 25/3 आयुध अधि0 थाना हीमपुरा दीपा जिला बिजनौर,

3.मु0अ0सं0 83/23 धारा 323/504 भादवि थाना हीमपुरा दीपा जिला बिजनौर,

4.मु0अ0स0 45/25 धारा 317(2)/317(5)/61(1)बीएनएस,

5.ई एफआई आर – 030149/24 धारा 305(2) बीएनएस थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली,

अभि0 के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

बरामदगी का विवरण:-

लूट की घटना के एक लाख 4 हजार रूपये बरामद,

गिरफ्तार करने वाली टीम

संयुक्त टीम श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण/पुलिस टीम थाना लोनी

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्सा चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्सा बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 02.02.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी जुल्फिकार रहमान पुत्र श्री सादिक शेख निवासी खोडा कॉलोनी मार्डन स्कूल के सामने थाना खोडा जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 02.02.2025 को बनाना ट्री होटल थाना लिंकरोड के पास से अज्ञात व्यक्ति द्वारा ई-रिक्सा चोरी कर लिया गया है । तत्काल थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया । मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 04.02.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त जोनी पुत्र जनक सिंह निवासी घोडी बछेडा काशीराम कॉलोनी थाना दादरी नोएडा हाल पता ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को कडकड पार्क के पास थाना लिंकरोड से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी का ई-रिक्सा बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त जोनी पुत्र जनक सिंह के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछाताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त जोनी पुत्र जनक सिंह से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त जोनी से बरामद ई-रिक्सा चोरी का है । जिसे दिनांक 02.02.2024 को बनाना ट्री होटल के पास से चोरी किया था । आज दिनांक 04.022025 को ई-रिक्सा को बेचने के लिये कडकड पार्क के आस-पास घूम रहा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. जोनी पुत्र जनक सिंह निवासी घोडी बछेडा काशीराम कॉलोनी थाना दादरी नोएडा हाल पता ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

- चोरी का 01 ई-रिक्सा बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त जोनी पुत्र जनक सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी व बरामदगी का 01 अभियोग व थाना शालीमार गार्डन पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम ।